तृतीय अनुसूची (नियम 245 क)

प्रपत्र -425 क

(समूह 'घ' के सरकारी सेवकों से भिन्न सरकारी सेवकों के लिए)

सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशष के 90 प्रतिशत के अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप।

सेवा में

.....

.....

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूं। मास के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुटटी पर चाला गया/गयी हूं/सरकरी सेवा से त्याग पत्र दे चुका/चुकी हूं और त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया हैं। मैं दिनांक के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया/गयी हूं।

मैं अनुरोध करता/करती हूं के मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में मेरे जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान मुझे किया जाय। मेरे भविष्य निधि लेखा संख्या हैं।

20.....के मास के मेरे वेतन बिल से भविष्य निधि अभिदान के रूप में.....; रू0 की धनराशि की अन्तिम बार कटौती की गई थी।

मैं प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि मैंने चालू वर्ष तथा पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षो के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा से न तो कोई अस्थाई अग्रिम लिया हैं और न कोई अन्तिम प्रत्याहरण किया हैं। चालू तथा पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा से मेरे द्वारा लिये गये अन्तिम प्रत्याहरण का ब्यौरा/अन्तिम अस्थायी अग्रिम का ब्यौरा और साथ-साथ वसूली का भी ब्यौरा नीचे दिया गया हैं।

क- अन्तिम प्रत्याहरण

क्रम संख्या	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

ख- अस्थायी अग्रिम

अग्रिम की धनराशि	आहरण दिनांक	किस्तों की संख्या जिसमें धनराशि की वसूली की जानी हो	आवेदन पत्र के दिनांक तक वसूल की गई किस्तों की संख्या और धनराशि	आवेदन पत्र के दिनांक तक वसूल न की गई किस्तों की संख्या और धनराशि	यदि वसूली नियमित न हो रही तो उसके कारण दीजिए।

5. मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूं कि बीमा की किस्त (प्रीमियम) के भुगतान के लिए चालू और पॉच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा से मेरे द्वारा कोई धनराशि प्रत्याहृत नहीं की गई थी। निम्नलिखित धनराशियां प्रत्याहृत की गयी थी।

क्रम संख्या	धनराशि	आहरण एवं दिनांक
1		
2		
3		

6. भविष्य निधि से मेरे द्वारा वित्तपोषित ऐसी जीवन बीमा पालिसियों का ब्यौरा जिन्हें नियुक्त किया जाना हैं, नीचे दिया गया हैं:-

क्र0 सं0	पालिसी संख्या	भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा का नाम	बीमाकृत धनराशि
1			
2			
3			

7. मैं वचन देता/देती हूं कि यदि सामान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक धनराशि का कोई भुगतान मुझको किया जाता हैं और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन अवशिष्ट (भाग- दो के अनुसार अनुमन्य) धनराशि के भुगतान से या उपादान से न किया गया हो। तो मैं ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान सरकार की कर दूंगा/दूंगी।

स्थान.....

दिनांक

भवदीय

(हस्ताक्षर)

नाम और पता

<u>भाग- दो</u>

सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट धनराशि का अन्तिम भुगतान करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

महालेखाकार लेखा एवं हकदारी एक/दो,
उत्तरांचल, देहरादून।
(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूं मास के लिए सेवो निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूं/सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे चुका/चुकी हूं और त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया हैं। मैं दिनांक के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवामुक्त/पदच्युत कर दिया गया/गयी हूं।

मैं अपने सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या में अपने जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का, नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए एक आवेदन पत्र (उपर्युक्त भाग एक द्वारा) प्रस्तुत कर दिया गया हैं। मैं एतद् द्वारा अनुरोध करता/करती हूं कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से करा दिया जाय।

राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मेरे नमुना हस्ताक्षर दो प्रतियों में संलग्न हैं।

स्थान.....
दिनांक

भवदीय
(हस्ताक्षर)
नाम और पता

<u>भाग- तीन</u>

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का अन्तिम भुगतान करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप।

(नामांकितियों द्वारा या यदि कोई नामांकन ना हो, तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने हेतु)

सेवा में,

.....

.....

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

यह अनुरोध किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती के सामान्य भविष्य निधि लेखा में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने का प्रबन्ध किया जाय। आवश्यक विवरण नीचे दिये गये हैं:-

1- सरकारी सेवक का नाम

2- सरकारी सेवक द्वारा धृत पद

3- मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कीजिए)

4- भविष्य निधि लेखा संख्या

5- अभिदाता के नियम -2 में यथा परिभाषित परिवार के सदस्यों का ब्यौरा:-

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	अभिदाता की मृत्यु के दिनॉक को आयु	अभिदाता की पुत्री या अभिदाता के मृत पुत्र की पुत्री के मामले में यह उल्लेखित करें कि वह अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को अविवाहित थी या विवाहित थी या विधवा थी
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

6- अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को जीवित नामांकितियों का ब्यौरा, यदि नामांकन हो:-

क्रम संख्या	नामांकिती का नाम	अभिदाता से सम्बनध	नामांकिती का अश	दावा का कारण, यदि नामांकित अभिदाता के परिवार का सदस्य न हो
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

7- किसी अवयस्क की जिसकी मां (अभिदाता की विधवा) हिन्दु न हो, देय धनराशि के मामले में, दावे का समर्थन यथास्थिति क्षतिपूर्ति बंध पत्र या संरक्षण प्रमाण पत्र द्वारा किया जाना चाहिये।

8- यदि अभिदाता का कोई परिवार न हो और, कोई नामांकन न हो, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनको भविष्य निधि की धनराशि देय हो (देय प्रोबेट पत्र या उत्तराधिकार प्रमाध पत्र आदि द्वारा समार्थित किया जायेगा)

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	पता
1			
2			
3			
4			

9- दावेदार/दावेदारों का धर्म

10- भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से/..... कोषागार/उप कोषागार के माध्यम से वांछित हैं। इस सम्बन्ध में सेवारत राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट, द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैः-

एकः- वैयक्तिक पहचान के चिन्ह-

दोः- बांये/दाये हाथ का अंगुठे और अंगुलियों के निशान (अशिक्षित दावेदारों के मामले में)

तीनः- नमूने के हस्ताक्षर, दो प्रतियों में (शिक्षित दावेदारों के मामले में)

11- मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि यदि सामान्य भविष्य निधि पासबुक में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक किसी धनराशि का भुगतान मुझको/हम लोगों को किया गया हो और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन (भाग चार के अनुसार अनुमन्य) अवशिष्ट धनराशि के भुगतान से या उपादान से नहीं किया गया हैं। तो मैं/हम लोग सरकार को ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान करूगां/करूगी/करेंगे।

भवदीय

(दावेदार/दावेदारों) के हस्ताक्षर

पूरा नाम और पता

<u>भाग- चार</u>

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट धनराशि के अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

(नामांकितियों द्वारा यदि कोई नामांकन न हो तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) एक/दो, उत्तरांचल देहरादून।

(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैंने/हम लोगों ने श्री/श्रीमती के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या में अतिशेष के 90 प्रतिशत का, नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई अनुरोध किया जाता हैं कि उपर्युक्त अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे/हम लोगों को आहरण एवं वितरण अधिकारी कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से किया जाय।

स्थान

दिनांक

भवदीय

(दावेदार/दावेदारों) के हस्ताक्षर

पूरा नाम और पता

(आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपयोग के लिए)

1- श्री/श्रीमती का भविष्य निधि लेखा संख्या हैं

2- वह सेवानिवृत्त हो गया हैं/हो गयी हैं/सेवानिवृत्त होगा/होगी मास के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया हैं/ चली गयी हैं/ उसने सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया हैं, और उसका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया हैं। उसे दिनांक के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/ पदच्युत कर दिया गया हैं।

..... रूपये की अन्तिम कटौती और अग्रिम की वापसी के लिए रूपये की वसूली उसके वेतन से कोषागार के वाउचर संख्या दिनांक से भविष्य निधि अनुसूची में सम्मिलित किया गया।

प्रमाणित किया जाता हैं कि उसे चालू वर्ष तथा पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षो में न तो कोई अस्थानई अग्रिम स्वीकृत किया गया हैं और न उसके भविष्य निधि लेखा से कोइट अन्तिम प्रत्याहरण किया गया था।

प्रमाणित किया जाता हैं कि निम्नलिखित अन्तिम प्रत्याहरण या अनन्तिम अस्थायी अग्रिम उनको स्वीकृत किये गये थे और चालू तथा पॉच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षो के दौरान उनके भविष्य निधि लेखा से प्रत्याहृत किये गये थे।

(क) अन्तिम प्रत्याहरण-

क्रम संख्या	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक
1					
2					
3					
4					

(ख) अस्थायी अग्रिम-

क्रम संख्या	अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक	मास और वर्ष जिसमें वसूली पूरी हूई।
1						
2						
3						
4						

5- प्रमाणित किया जाता हैं कि बीमा की किस्त के भुगतान के लिए चालू वर्ष और पूर्ववर्ती पॉच वर्षो के दौरान उसके भविष्य निधि लेखा से कोई धनराशि प्रत्याहृत नहीं की गई/निम्नलिखित धनराशि प्रत्याहृत की गई।

क्रम संख्या	धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक
1					
2					
3					
4					

6- दिनांक (वह दिनांक जब धनराशि देये हो चुकी हो) को उसकी सामान्य भविष्य निधि पास बुक में यथा अतिशेष जिसके अन्तर्गत उस दिनांक तक देय ब्याज और (बोनस यदि कोई हो) भी हैं, संलग्न परिकलन शीट के अनुसार रूपये (अंकों में) रूपया (शब्दों में) हैं और उपर्युक्त अतिशेष का 90 प्रतिशत रूपया होता हैं।

7- प्रमाणित किया जाता हैं कि सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित कोई वसूली उससे नहीं की जानी हैं। अत एव; रूपये (अंकों में) रूपये शब्दों में जो अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष का 90 प्रतिशत हैं का भुगतान अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गई हैं तो दावेदार/दावेदारों के नाम को करने की संस्तुति की जाती हैं।

या

सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित निम्नलिखित वसूलियां अभिदाता से की जाती हैं।

क्रम संख्या	वसूलियों का विवरण	धनराशि (रू0)
1		
2		
3		
4		

ऊपर वर्णित वसूलियों के मददे रूपये की धनराशि की कटौती करने के पश्चात् अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष के केवल 90 प्रतिशत में से (अभिदाता का यदि उसकी मृत्यु हो गई हैं तो दावेदार/दावेदारों का नाम) को रूपये (अंकों में) रूपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती हैं।

8- अभिदाता की मृत्यु दिनांक को हुई। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

9- परिकलन शीट (तीन प्रतियों में) और शेष धनराशि के भुगतान के आवेदन पत्र सहित को अग्रसारित।

दिनांक

आहरण एवं वितरण अधिकारी के
हस्ताक्षर और मुहर

जॉचकर्ता लेखा प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

1- प्रमाणित किया जाता हैं कि मैंने संलग्न परिकलन शीट और उपर्युक्त गणनाओं की जाच कर ली हैं, जो सही हैं।

2- रूपये (अंकों में) रूपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती हैं।

3- (स्वीकृति प्राधिकारी) को अग्रसारित।

दिनांक

जॉचकर्ता लेखा प्राधिकारी के
हस्ताक्षर और मुहर

स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

1- (अभिदाता का यदि उसकी मृत्यु हो गयी हैं तो दावेदार/दावेदारों के नाम) को; रूपये (अंकों में) रूपये (शब्दों में) का भुगतान स्वीकृत किया गया।

2- शेष धनराशि के भुगतान का आवेदन पत्र तथा परिकलन शीट और सामान्य भविष्य निधि पासबुक महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून को अग्रसारित की गयी। सामान्य भविष्य निधि पासबुक भुगतान प्राधिकृत करने के पश्चात् आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापस की जाय।

दिनांक

स्वीकृति प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

यदि अभिदाता की मृत्यु हो गयी हो तो क्रम संख्या-8 के विरूद्ध सूचना प्रस्तुत की जायेगी।